दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 11-07-2025

सुनवाई • केंद्र व राज्य सरकार को निर्देश देने की थी मांग, हाई कोर्ट ने कहा-पहले सुरक्षा निधि जमा करें

देश में पारदर्शिता, जवाबदेही और सख्त कानून की मांग को लेकर जनहित याचिका हाई कोर्ट से खारिज

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

देश में पारदर्शिता, जवाबदेही और सख्त कानूनी प्रावधानों की मांग करते हुए याचिका लगाई गई थी। इसमें कई गंभीर मुद्दों को उठाया गया, जिसमें गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए, जमीन अतिक्रमण और आपराधिक मामलों में देरी जैसे विषयों को लेकर गाइडलाइन बनाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार उनका उद्देश्य आम नागरिकों के हितों की रक्षा और व्यवस्था में सुधार करना है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि वे पहले सुरक्षा निधि जमा करें। बता दें कि इस मामले में जनहित याचिका भी खारिज की जा चुकी है।

सक्ती में रहने वाले उपेंद्र नाथ चंद्रा व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें केंद्र व राज्य सरकार समेत अन्य को पक्षकार बनाते हुए 9 बिंदुओं पर निर्देश देने की मांग की गई थी। इसमें सभी तरह के मामलों की पारदर्शी तरीके से जांच, देश के सभी निजी व सरकारी संस्थाओं और नागरिकों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम, जवाबदेही और ऐसा नहीं करने पर सजा के प्रावधानों को लागू करने को लेकर निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में मांग की गई है कि नियमों का उल्लंघन कर जारी किए गए लोन को घोस्ट लोन घोषित करने और एनपीए खातों को बंद करने की मांग की गई थी।

न्याय में देरी पर रोक लगे

याचिका में आसान और समयबद्ध न्याय प्रक्रिया की मांग की है ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले और अपराधियों को कानून का दुरुपयोग करने से रोका जाए। ग्राम पंचायतों जैसी संस्थाओं की भागीदारी को अनिवार्य करने का सुझाव भी दिया गया है। इसके साथ ही सिविल मामलों में झूठी गवाही और जाली दस्तावेज पेश करने वालों के लिए सजा का प्रावधान करने की मांग की गई है। साथ ही, डिजिटल माध्यम से स्वराज की अवधारणा को लागू करने का सुझाव दिया गया है।

देश की पूरी जमीन के सीमांकन की मांग

इसके अलावा देश की सभी भूमि का सीमांकन करने, कृषि भूमि, जंगल, नदी, पहाड़ आदि पर उद्योग स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाने, ग्राम पंचायतों और नगर परिषदों को कम से कम 50% नागरिकों की सहमति से प्रस्ताव बनाकर यह साबित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी कि संबंधित जगह रहने वाले लोग भारत के नागरिक या मूल निवासी हैं।

अतिक्रमण और धर्म परिवर्तन पर सख्ती हो

याचिका में कहा गया है कि ज्ञान के अभाव और सरकारी लापरवाही के कारण भूमि अतिक्रमण और धर्म परिवर्तन की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके लिए सरकार को सख्त कानून बनाने और याचिकाकर्ता व उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। गबन और हिंसा जैसे गंभीर मामलों में रोजाना सुनवाई की मांग की गई थी।